



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 15, शुक्रवार, शाके 1939-मई 5, 2017
Vaisakha 15, Friday, Saka 1939-May 5, 2017

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 5, 2017

जी.एस.आर.16 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात्, राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष "राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा" के अधीन क्रम संख्याक 2क के सामने स्तंभ संख्याक 4 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 में वरिष्ठ उप सचिव के लिए विहित किये गये अनुसार।"

[संख्या एफ.12(13)संसद/2001/पार्ट]

राज्यपाल के आदेश द्वारा,

मनोज कुमार व्यास,

प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, may 5, 2017

G.S.R.16 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of

Rajasthan, after consultation with the Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, is hereby pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule.- The existing entries in column number 4, against serial number 2A, under the heading "RAJASTHAN VIDHAN SABHA SECRETARIAT SERVICE" of Schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992 shall be substituted by the following, namely:-

"As prescribed for Senior Deputy Secretary in the Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954, as amended from time to time."

[No. F.12(13)Sansad/2001Part]

By Order of the Governor,

Manoj Kumar Vyas,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

[Date: 05/05/2017]

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913